कार्यालय
प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष
लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड

कार्यालय ज्ञाप

पत्रांक :– 486/10 अधि प्राप्ति/13 दिनाँक :– 17/5/13

इस कार्यालय के ज्ञाप संख्या 167/10 अधि0 प्राप्ति/11 दिनाँक 10/02/2011 द्वारा निर्देशित किया गया था कि राज्य सरकार द्वारा पोषित समस्त मार्ग एंव सेतु कार्यों हेतु Roads and Bridges for Uttrakhand के SOR का प्रयोग किया जाएगा एवं समस्त केन्द्र पोषित एवं राष्ट्रीय राजमार्ग से संबंधित योजनाओं हेतु MORTH के SOR का प्रयोग किया जाएगा।

चूँकि Roads and Bridges के SOR में सेतुओं के निर्माण से संबंधित सभी मदें उपलब्ध नहीं थी, अतः MORTH के SOR से Bridge Works के तीन Chapters (Foundation, Substructure and Superstructure), Roads and Bridges के SOR में Chapter No. 17, 18, एवं 19 के रूप में copy कर लिए गये थे। Roads & Bridges में copy किए गए bridge works के इन Chapters में Overheads भी मार्ग कार्यों की ही भाँति 2.5% लिए गए थे, जबकि मूल SOR MORTH में ये Overheads 20% लिए गए हैं।

Field में कार्यरत अभियन्ताओं द्वारा संज्ञान में लाया गया है कि Bridges के निर्माण हेतु केवल 2.5% Overhead's पर्याप्त नहीं हैं तथा इस कारण Bridges के निर्माण कार्य करवाने में कठिनाई उत्पन्न हो रही है। अतः SOR समीति के साथ विस्तृत विचार विमर्श के उपरान्त यह निर्णय लिया गया है कि केन्द्र एवं राज्य पोषित समस्त Minor एवं Major Bridge Projects हेतु MORTH की विशिष्टियों तथा SOR का ही प्रयोग किया जाएगा।

प्रमुख अभियन्ता
लोक निर्माण विभाग देहरादून

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रमुख सचिव, वित्त उत्तराखण्ड शासन।
2. प्रमुख सचिव, लोक निर्माण विभाग उत्तराखण्ड शासन।
3. अपर सचिव, लोक निर्माण विभाग उत्तराखण्ड शासन।
4. मुख्य अभियन्ता ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा, देहरादून।
5. मुख्य अभियन्ता गढ़वाल/कुमायूं क्षेत्र/पी0एम0जी0एस0वाई0/ए0डी0बी0, /रा0मा0 लो0नि0वि0, पौड़ी/अल्मोड़ा/देहरादून।
6. समस्त अधीक्षण अभियन्ता, सिविल एवं वि0या0 लोक निर्माण विभाग उत्तराखण्ड। अधीक्षण अभियन्ता अपने स्तर से अधिशासी अभियन्ताओं को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
7. अधिशासी अभियन्ता टी0ए0सी0 वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
8. वरिष्ठ स्टाफ आफिसर I, II/अधिशासी अभियन्ता I II III IV V VI कार्यालय मुख्य अभियन्ता स्तर–I, लो0नि0वि0 देहरादून।
9. कनिष्ठ अभियन्ता (प्रा0), कार्यालय विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग, देहरादून।

प्रमुख अभियन्ता
लोक निर्माण विभाग देहरादून